

कार्यालय आदेश सं ३११९.....

श्री महेश चन्द्र मिश्रा पुत्र शैलेश्वर मिश्रा, सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी, गोरखपुर (पूर्व) को NIP सं या/555/5/24/3052 दिनांक 05.06.2017 के द्वारा दीर्घ दण्ड आरोप दिनांक 17.08.2016 के संदर्भ में वमंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी ने इन्हें रेल सेवा के अयोग्य मानते हुए तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटाये जाने (Removal From Service) का दण्ड पारित किया गया है। जिसके अनुपालन में श्री महेश कुमार मिश्रा, सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी गोरखपुर (पूर्व) को दिनांक 05.06.2017 से रेल सेवा से हटाया जाता है।

उपरोक्त पर वमंयाई (ओएण्डएफ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(सहायक कार्मिक अधिकारी-1)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी
दिनांक 05.06.2017

सं का/या/पीसी/ महेश चन्द्र मिश्रा/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी।
2. वमंविप्र/ वाराणसी।
3. मुख्य क्लू नियंत्रक, डीजल लॉबी गोरखपुर (पूर्व)।
4. मुख्य शक्ति नियंत्रक/ वाराणसी - कृपया इसकी सूचना तुरन्त डीजल लॉबी गोरखपुर(पूर्व) को सूचित करने की व्यवस्था करें।
5. मुख्य कार्याधी/ यांत्रिक बिल।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
7. संबंधीत कर्मचारी।
8. मंडल मंत्री नरमू, अजा/ अजजा एवं ओबीसी/ वाराणसी।
9. अन्य प्रति।

(सहायक कार्मिक अधिकारी-1)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी